(b) the quantity of each exported during the same period (country-wise)?

The Minister of Commerce and Industry (Shri Lal Bahadur Shastri): (a) A statement showing the total production (State-wise) of pepper in the country during 1958-59 (Final Estimates) is laid on the Table of the Sabha. [*See* Appendix VII, annexure No. 99]. Statistics of production of ginger for 1958-59 are not available.

(b) Another statement showing the quantities of pepper and ginger exported (country-wise) from the country during the period April, 1958 to January, 1959 is laid on the Table of the Sabha. [*See* Appendix VII, annexure No 99]. Statistics of exports for February and March, 1959 are not yet available

Employees' State Insurance Scheme in Himachal Pradesh

3798. **Shri Nek Ram Negi:**
Shri Bhakt Darshan:

Will the Minister of **Labour and Employment and Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2185 on the 8th April, 1958 and state whether the Employees' State Insurance Scheme has since been introduced in Himachal Pradesh?

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): No.

Head Hunting in Naga Hills Tuensang Area

3799. Shri Raghunath Singh: Will the **Prime Minister** be pleased to state the number of head hunting cases committed in Naga Hills Tuensang Area during 1957-58 and 1958-59?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru): No head-hunting cases were reported in the N.H.T.A. during 1957-58 and 1958-59.

पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

३८००. **श्री वाजपेयी :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाजन के पश्चात् पश्चिमी पाकिस्तान से आकर ग्रामों में बसाये जाने वाले विस्थापितों को खाद्य-ऋण के रूप में कुछ धन राशि दी गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस ऋण की दर प्रति वयस्क व्यक्ति दो रुपये तथा प्रति बालक आठ आने प्रति मास थी; और

(ग) क्या इस ऋण की वसूली के लिए विस्थापितों की सम्पत्ति की नीलामी का आदेश दिया गया है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री नेहरू अंब खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) आम तौर पर प्रत्येक बालिग को १२ रुपये मासिक और प्रत्येक बच्चे को ६ रुपये मासिक और अधिक से अधिक एक परिवार को ४२ रुपये मासिक की दर से यह ऋण ६ महीने तक मिल सकता था ।

(ग) पंजाब से बाहर विभिन्न राज्यों में अस्थाई तौर पर जमीनों पर बसे हुए गैर-पंजाबी (दोनो दावेदार और गैर-दावेदार) शरणार्थियों को और पंजाब राज्य के केवल गैर दावेदार शरणार्थियों को दिये गये खाद्य ऋण माफ कर दिये गये हैं । अन्य लोगो से जिन्हें ये तकावी ऋण के रूप में दिये गये थे, उसी भांति वसूल किये जाने थे । परन्तु इस मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है ।

Employees' State Insurance Corporation

3801. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of **Labour and Employment and Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of persons who were on-